



संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute Of Medical Sciences
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014 (INDIA)
Phone (0522)-2668700, 2668800, 2668900 Fax-(0522)- 2668017, 2668129

पत्रांक सं०: पी०जी०आई०/अधि०/आरएसडी सं०/208/17/भाग-3/599/2024 दिनांक : 31-7-24

कार्यालय आदेश

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं०-57/2024/1/683617/2024/71-2099/2874/2020 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के परिपालन में संस्थान के ग्रुप-ए एवं ग्रुप-बी (पैरामेडिकल) के गैर-संकायी अधिकारियों और कर्मचारियों (Except Nursing Staff) को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के सादृश्य हास्पिटल पेशेंट केयर भत्ता (Hospital Patient Care Allowance) शासनादेश निर्गत होने की तिथि 04 जुलाई, 2024 से अनुमन्य कराये जाने के आदेश इस प्रतिबंध के साथ पारित किये जाते हैं कि उक्त भत्ते की दर एवं अन्य शर्तें/प्रतिबंध तथः प्रकिया वही हो, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में हो। इस हेतु किसी प्रकार का एरियर देय नहीं होगा।

संबंधित अधिष्ठान अपने अधीनस्थ कार्यरत पात्र कार्मिकों की सूची वित्त एवं लेखा विभाग को प्रेषित करेंगे।

(प्रो० राधाकृष्ण धीमन)
निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. अपर निदेशक।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
3. वित्त अधिकारी।
4. चिकित्सा अधीक्षक।
5. विभागाध्यक्ष, बी०एच०आई० को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
6. समस्त नोटिस बोर्ड।

(प्रो० राधाकृष्ण धीमन)
निदेशक